(प्रपत्र – 2)

परिशिष्ट (देखिये नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फॉर्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरणः–

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	–	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि–और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।		संलग्न है।
(ग) परियोजना की लागत।	–	404.00 लाख
(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	–	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।
(ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)।		संलग्न है।
(च) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	–	सडक मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 2000 मानव दिवस।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्वेश्यवार विवरण।		आरक्षित वन भूमि – 1.3895है0 वन पंचायत भूमि – 0.0000है0 सिविल सोयम भूमि – 0.2205है0 नाप भूमि सडक हेतु – 1.1900है0 नाप भूमि डम्पिंग हेतु – 0.3270है0 **कुल भूमि – 3.1270है0**
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।		लागू नहीं है।
(क) परिवारों की संख्या	–	शून्य
(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।	–	शून्य
(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने–		शून्य

(9)

स्थान– ....

संलग्न है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है?

संलग्न है।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्वता (वचनवद्वता संलग्न की जाय)।

संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

दिनांक 01/09/2020
देहरादून

नाम– डॉ० राजेश कुमार

कनिष्ठ अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून	सहायक अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून	अधिशासी अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून

प्रस्ताव की क्रम सं0...

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)।

भाग–II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7–परियोजना/स्कीम का स्थान	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0–210/2013 के अन्तर्गत जनपद–देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू सड़क निर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का नि0ख0 लो0नि0वि0, देहरादून को वन संरक्षण अधिनियम–1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	देहरादून
(iii) वन प्रभाग	कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी
(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर में)	सिविल भूमि = 0.2205 है0 आरक्षित वन भूमि = 1.3895 है0 योग = 1.6100 है0
(v) वन की कानून स्थिति	आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि
(vi) हरियाली का घनत्व–	0.3
(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की गणना (संलग्न की जाय) सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बंध में एल.आर.एल.एफ., एफ.एल.आर.–2 मीटर पर परिगणना और एफ.एल.आर.–4 मीटर की गणना संलग्न किये जायें।	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 206 वृक्ष बाधित हैं, जिनमें बांज वृक्षों की संख्या शून्य है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्तावत के पृष्ठ संख्या–..... से ..... तक संलग्न है।
(viii) भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू–क्षरण की सम्भावना नहीं है।
(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल लांघा रेंज के अन्तर्गत उ0विन्हार–1बी, 2 व 3 (आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत) से गुजरता है।
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरी डोर आदि का भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियॉ अनुबन्धित की जायें)	नहीं।
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पायी जाती है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षितहो दें।	नहीं।
8–प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	यह न्यूनतम भूमि है। इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या–..... पर संलग्न है।

9–क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन सम्बंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10–प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा–	
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– ..... से ..... पर संलग्न है। साथ ही प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– ..... पर संलग्न है।
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–..... से ..... पर संलग्न है।
(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां : जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेन्सी : वन विभाग समय : उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत : प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–..... व ..... तथा ..... पर संलग्न है।
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	₹ 1085732/– क्षतिपूरक वनीकरण ₹ 532400/– परियोजना के आस–पस रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय इकाई दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	प्राक्कलन प्रति हस्ताक्षरित और प्रमाणित है।
11–उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम–7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ एवं प्रस्तावक विभाग के संयुक्त निरीक्षण
12–विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088^2 Km
(ii) जिले का वन क्षेत्र	211691 हे0
(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	21268.15 हे0

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	7102.51 है0
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	6333.92 है0
(ख) वनेत्तर भूमि पर (सिविल)	768.59 है0
(v)–अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति क– वन भूमि पर (आरक्षित) ख– वनेत्तर भूमि पर (सिविल)	 4308.09 है0 768.59 है0
13–प्रस्ताव की स्वीकृत कराने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	यह परियोजना विकास सम्बन्धी है जो कि जनसेवा के लिये अत्यन्त आवश्यक है। प्रस्ताव स्वीकृति की प्रबल संस्तुति की जाती है।

दिनांक .....

स्थान–कालसी।

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

(प्रपत्र – 4)

परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई– 4.00 किमी0)

भाग – 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए वृक्षों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नामः–
सरकारी मोहर

परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई– 4.00 किमी0)

भाग – 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नामः–
सरकारी मोहर

परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई– 4.00 किमी0)

भाग – 5

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्रधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18. राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग–।। या भाग–।।। या भाग– IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नामः–

सरकारी मोहर